यह निरीक्षण आख्या **कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास हरिद्वार के अवधि 05/2014 से 05/2016 तक के लेखा–अभिलेखों का लेखापरीक्षा श्री सुधीर कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री देवेन्द्र दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री गौरव पंत, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 03.06.2016 से 15.06.2016 तक श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित संप्रेक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग–प्रथम

(अ) परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राज बहादुर एवं श्री रविशंकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 21.05.2014 से 28.05.2014 तक श्री राकेश कुमार, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी। जिसमें माह 07/2010 से 04/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

वर्तमान में माह 05/2014 से 05/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित अधिकारियों ने कार्यायाध्यक्ष का पदभार संभाले रखा :

1. श्री उदय प्रताप सिंह	प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी	01.04.2014 से 02.08.2014
2. श्री मोहित चौधरी	जिला कार्यक्रम अधिकारी	02.08.2014 से वर्तमान तक

(ब) विगत प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तर : अप्रस्तुत

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/वर्ष	प्रस्तर संख्या	
	भाग–2 अ	भाग–2 ब
32/2007–08	शून्य	1, 2, 3
52/2014–15	शून्य	1
20/2010–11	1	1, 2
26/2014–15	शून्य	1, 2, 3, 4

(स). सतत् अनियमिततायें – शून्य

(द). अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित) – विगत प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तर एवं आंगनबांड़ी केन्द्रों का अभिलेख

बजट :

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	आयोजनेत्तर		आयोजनागत	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2013–14	–	–	5883.28	4973.75
2014–15	–	–	9710.38	9279.49
2015–16	–	–	478.52	471.17

भाग- II (ब)

प्रस्तर 1 :- <u>निरीक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के आभाव मे टी० एच० आर, कुक्डफूड एवं वृद्ध पोषण योजनाओं मे किए गये व्यय की प्रामाणिकता का संदिग्ध होना ।</u>

ज़िला कार्यक्रम अधिकारी हरिद्वार द्वारा टी० एच० आर० योजना, कुक्डफूड एवं वृद्ध पोषण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 मे ` 21.38 करोड़ की धनराशि का व्यय किया गया था, कार्यालय के लेखा अभिलेखो की नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओ मे से, जनपद हरिद्वार मे 11 योजनाएँ संचालित थीं। जिनके निष्पादन हेतु 3056 आँगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत थे जिसमे से 2850 केंद्र संचालित थे। प्रत्येक केंद्र हेतु एक आँगनबाड़ी कार्यकर्ती और एक सहायिका की तैनाती का प्राविधान है परन्तु जनपद मे 2850 केंद्र के सापेक्ष 2774 आँगनबाड़ी कार्यकर्ती तथा 2588 सहायिका की तैनाती थी जो स्वीकृत पदों से क्रमशः 76 व 262 कम थी ।

स्वीकृत पदों एवं कार्यरत पदों के जांच मे पाया गया कि योजनाओ के संचालन एवं अनुश्रवण हेतु ज़िला कार्यक्रम अधिकारी के अन्तर्गत जनपद मे 11 बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद स्वीकृत थे जिसके सापेक्ष 03 पद पर तैनाती थी 08 (73 %) पद रिक्त था, इसी प्रकार सुपरवाइजर के 121 पद स्वीकृत थे जिसके सापेक्ष 72 पद पर तैनाती थी 49 पद (41%) पद रिक्त था । समान्यतः एक सुपरवाइजर के अंतर्गत 25 केंद्र का पर्यवेक्षण का कार्य आवंटित किए जाने का प्रविधान है परन्तु पद रिक्त होने के कारण औसतन एक सुपरवाइजर को 40 केन्द्रो के पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व था जो कि व्यावहारिक नहीं था। विभाग के अन्तर्गत निदेशालय से आवंटित बजट को कोषागार से आहरित कर डी० पी० ओ० के बैंक खाते मे हस्तांतरित किया जा रहा था उसके बाद बाल विकास परियोजना अधिकारियों की मांग के अनुसार धनराशि उनके बैंक खाते मे और इसी क्रम मे आँगनबाड़ी केन्द्रों के खाते मे धनराशि हस्तांतरित कर दी जा रही थी परन्तु केन्द्रो द्वारा व्यय की जा रही धनराशि के सापेक्ष कोई प्रतिवेदन उच्चाधिकारियों को प्रेषित नहीं किया जा रहा था और आँगनबाड़ी केन्द्रों की रोकड़ बही पर आँगनबाड़ी कार्यकर्ती तथा सचिव व अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया था तथा रोकड़ वही को किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रमाणित/ सत्यापित नहीं किया जा रहा था। विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह है कि आँगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण व अनुश्रवण की कोई ठोस व्यवस्था विद्दमान नहीं थी और न ही निरीक्षण पंजिका जांच हेतु प्रस्तुत की गयी जिससे स्पष्ट होता कि आँगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा किया गया व्यय शत-प्रतिशत निर्धारित मानकों के अनुरूप था ।

आगे जाँच में यह भी पाया गया कि कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास हरिद्वार के आई सी डी एस योजना के अंतर्गत 2850 केंद्र है जिनमे से 85 आँगनबाड़ी केन्द्रो के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश में आया कि 27 आँगनबाड़ी केन्द्रो की रोकड़वही न तो आँगनबाड़ी

केंद्र के अध्यक्ष व सचिव के द्वारा और न ही आहरण वितरण अधिकारी के द्वारा सत्यापित की जा रही थी । रोकड़ वही मे whitener का प्रयोग किया जा रहा था और 3 आँगनबाड़ी केन्द्रो (गी मो सईदपुर, भगवानपुर-07, हनुमान कालोनी-2) की रोकड़वही का बैंक पासबुक से मिलान नहीं हो रहा था । डालूवला कला, बाहदराबाद आँगनबाड़ी केन्द्र की उपस्थिति पंजिका मे whitener का प्रयोग किया जा रहा था और आगे यह भी देखा गया कि वित्तीय नियमों के अनुसार किसी भी बिल का भुगतान करने से पूर्व उसको सक्षम अधिकारी से प्रमाणित कराया जाना चाहिए था लेकिन विभाग के अन्तर्गत कार्यरत 85 आँगनबाड़ी केन्द्रों के सापेक्ष 27 केन्द्रों ने Take Home Rashan एवं Cooked Food के 40 बिल ` 193198/- अध्यक्ष एवं सचिव के द्वारा प्रमाणित नहीं कराये गए थे और बिलों का भुगतान कर दिया गया। जिससे स्पष्ट है कि विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के अभाव के कारण आँगनबाड़ी केन्द्रों के द्वारा ` 1.93 लाख के बिल प्रमाणित नहीं कराये गए और वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया । (विवरण संलग्न)

विगत लेखा परीक्षा (04/2014) से आहरण वितरण अधिकार अलग होने से पूर्व (03/2015) तक की नमूना जांच मे मात्र 3 प्रतिशत आँगनबाड़ी केन्द्रों ने ही जांच हेतु लेखा अभिलेख प्रस्तुत किये। शेष आँगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि निरीक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की समुचित व्यवस्था के अभाव मे आँगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 किए गये ` 21.38 करोड़ के व्यय की प्रमाणिकता संदिग्ध थी और भविष्य मे शासकीय धन के गबन / दुर्विन्योजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि विभाग के अन्तर्गत 25 केन्द्रों पर एक सुपरवाइजर की तैनाती का प्रावधान है। तैनाती के आधार पर प्रत्येक परियोजना में सुपरवाइजर को संचालित आँगनबाड़ी केन्द्र आबंटित किए जाते हैं। 25 से अधिक केन्द्र होने पर प्रतिमाह समस्त केन्द्रों का निरीक्षण करने में व्यावहारिक कठिनाई है। केन्द्रों की रोकड़ बही व केन्द्र पर आने वाले बालक, बालिका की उपस्थिति पंजिका तथा वितरित किए जाने वाले टी॰ एच॰ आर॰ वितरण पंजिका को सुपरवाइजर द्वारा सत्यापित किया जाता है। बिलों को प्रमाणित करने के संबंध में विभाग ने अवगत कराया कि माता समिति की अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा रोकड़ बही तथा बिल सत्यापित/ प्रमाणित किए जाते हैं। भविष्य में आंतरिक नियन्त्रण की व्यवस्था मजबूत की जायेगी।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि विभाग के अन्तर्गत 25 केन्द्रों पर एक सुपरवाइजर की तैनाती का प्रावधान है। जबकि विभाग के अन्तर्गत एक सुपरवाइजर को औसतन 40 से अधिक तक केन्द्र आबंटित थे जिससे समस्त केन्द्रों का निरीक्षण प्रतिमाह व्यावहारिक रूप से किया जाना संभव

नहीं था। केन्द्रों की रोकड़ बही व केन्द्र पर आने वाले बालक बालिका की उपस्थिति पंजिका तथा वितरित किए जाने वाले टी॰ एच॰ आर॰ वितरण पंजिका को किसी उच्च अधिकारी से सत्यापित भी नहीं कराया जा रहा था। जो स्पष्ट करता है कि विभाग के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के अभाव में टी० एच० आर, कुक्डफूड एवं वृद्ध पोषण योजनाओं मे किए गये व्यय की प्रामाणिकता न केवल संदिग्ध थी, अपितु भविष्य में शासकीय धन के अपव्यय की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता, प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग- II (ब)

प्रस्तर 2 :- विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के कारण ` 4.05 करोड़ की धनराशि से बनने वाले काम-काजी महिलाओं को आवास/ छात्रावास के अंतर्निहित उद्देश्य की पूर्ति अप्राप्त रहना।

उत्तरांचल शासन मुख्य मंत्री कार्यालय घोषणा अनुभाग के पत्र संख्या 671/ XXXV-4-71 घो० /2006 दिनांक 14.06.2006 द्वारा तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री ने जनपद हरिद्वार मे वर्किंग वुमेन हॉस्टल के स्थापना की घोषणा की थी, उक्त हॉस्टल निर्माण हेतु 1.5 एकड़ भूमि की आवश्यकता थी वर्ष 2006 से भूमि चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई और लगभग 7 वर्ष बाद शासनादेश संख्या 2604/VII-1/13-395/2007 दिनांक 10.12.2013 द्वारा 02 एकड़ भूमि आवंटित हुई थी। प्रश्नगत छात्रावास के निर्माण हेतु बिना किसी स्पष्ट आधार के उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को कार्यदायी संस्था के रूप मे चयनित किया गया था और शासनादेश संख्या 423/ XVII (4)/2014/115/08 दिनांक 04.03.2014 द्वारा विशेष आयोजनागत सहायता के अंतर्गत कामकाजी महिला छात्रावास के निर्माण हेतु परीक्षणोप्रांत संस्तुत कुल लागत ` 1570.72 लाख (सिविल कार्यों के लिए ` 1327.29 लाख तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार कराये जाने वाले कार्य हेतु ` 243.43 लाख) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, अंतर्निहित शर्तों के अधीन प्रदान करते हुए ` 4.05 करोड़ की राशि निर्गत की गयी थी। स्वीकृति की शर्तो मे निहित था कि i . परियोजना प्रतेयक दशा मे 18 माह के भीतर पूर्ण की जायेगी, किसी भी स्थिति मे पुनः पुनरीक्षित आगणन तथा नये कार्यों को प्रस्तावित नहीं किया जायेगा । ii . कार्यदायी संस्था से एम० ओ. यू० हस्ताक्षरित कर समय सारणी के अनुरूप समय से निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाये । निर्माण कार्य का गहन अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जाये ।

कार्यालय ज़िला कार्यक्रम अधिकारी हरिद्वार के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि ज़िला कार्यालय द्वारा न तो कार्यदायी संस्था से एम० ओ. यू० हस्ताक्षरित किया गया था और न ही उक्त निर्माण कार्य का अनुश्रवण किया जा रहा था, विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह है कि निर्माण कार्य हेतु धनराशि आवंटित हुए 26 माह का समय बीत चुका है परंतु निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति से विभाग अनभिज्ञ था ।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि जनपद हरिद्वार मे काम-काजी महिलाओं के छात्रावास का निर्माण कार्य हेतु मुख्यमंत्री की घोषणा के सात वर्ष बाद भूमि को चयनित किया गया था और निर्माण कार्य हेतु धनराशि निर्गत करने के 2 वर्ष 2 माह बाद भी निर्माण कार्य न केवल अपूर्ण था अपितु

निर्माण कार्य के अंतर्निहित उद्देश्य (काम-काजी महिलाओं को आवास/ छात्रावास उपलब्ध कराने) की पूर्ति अप्राप्त थी जो की विभागीय उदासीनता का स्पष्ट परिचायक था ।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि विभाग द्वारा अथक प्रयास के बाद भी जनपद में निशुल्क भूमि उपलब्ध न होने के कारण भूमि चयन में विलंब हुआ तथा निदेशालय स्तर से छात्रावास के निर्माण की योजना संचालित है

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विभाग को भूमि चयन में 07 वर्ष का समय लगना और निर्माण कार्य हेतु धनराशि निर्गत किए जाने के 2 वर्ष 2 माह बाद भी निर्माण कार्य अपूर्ण था । निर्माण कार्य को समय पर पूरा किये जाने हेतु विभाग को निर्माण कार्य का गहन अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाना था, लेकिन जिला कार्यालय द्वारा न तो कार्यदायी संस्था से एम० ओ. यू० हस्ताक्षरित कराया गया था और न ही उक्त निर्माण कार्य का अनुश्रवण किया जा रहा था तथा निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति से भी अनभिज्ञ था । जिससे स्पष्ट था कि विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के कारण ` 4.05 करोड की धनराशि से बनने वाले काम काजी महिलाओं को आवास/ छात्रावास के अंतर्निहित उद्देश्य की पूर्ति अप्राप्त थी।

भाग- II (ब)

प्रस्तर 3 :- विभागीय उदासीनता के कारण ` 1851 लाख की धनराशि का अनुपयोगी रहना।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा भवन विहीन आँगनबाड़ी केन्द्रों के लिए पक्का भवन बनाए जाने के लिए राज्य सरकारों से कार्ययोजना बनाने हेतु निर्देशित किया गया था (दिसंबर 2012) इस क्रम मे उत्तराखण्ड मे 1450 नए केन्द्रों का निर्माण व 113 केन्द्रों का उच्चीकारण हेतु राज्यान्श ` 1659.50 लाख व केंद्रान्श ` 4978.50 कुल ` 6638.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की थी, इसी क्रम मे जनपद हरिद्वार हेतु 500 नए आँगनबाड़ी केन्द्रो के निर्माण हेतु ` 4.50 लाख की दर से ` 2250.00 लाख तथा 10 केन्द्रों के उच्चीकरण हेतु ` एक लाख की दर से ` 10 लाख कुल रुपए 2260.00 लाख की धनराशि दो किस्तों में, (अनुदान संख्या 15 लेखा शीर्ष संख्या 4235-02-102-01-08 42 बृहद निर्माण कार्य के अंतर्गत ` 158500000.00 एवं रुपए 67500000.00 कुल ` 226000000.00 का बजट आगंनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु प्राप्त हुआ था) अवमुक्त हुई थी ।

ज़िला कार्यक्रम अधिकारी हरिद्वार के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया की जनपद हरिद्वार मे कुल 2912 केंद्र संचालित थे जिसमे मात्र 366 विभागीय भवन थे 1297 केंद्र किराए के भवन मे संचालित थे तथा 1249 केन्द्रों को अन्य भवन के रूप मे दर्शाया गया था । प्रश्नगत प्रकरण के संबंध मे भारत सरकार द्वारा जारी नवीन दिशा निर्देशनुसार आँगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण की लागत संशोधित करते हुए ` 4.50 लाख के स्थान पर ` 7.00 लाख करते हुए निर्देश दिया गया की एक केंद्र के निर्माण पर विभाग द्वारा मात्र ` 2.00 लाख की धनराशि व्यय की जायेगी और शेष राशि ` 5.00 लाख मनरेगा से व्यय की जायेगी, और दोनों विभागो मे समन्वय स्थापित करना होगा । आँगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण एवं पुनर्निर्माण हेतु विकास खंड को कार्यदायी संस्था नामित किया गया था । भारत सरकार के संशोधित दिशा निर्देशा अनुसार विभाग/ जनपद मे उपलब्ध राशि ` 2250.00 लाख से 500 के स्थान पर 1125 आँगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण किया जा सकता था। जांच मे पाया गया कि उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2014-15 मे कोषागार से आहरित कर मुख्य विकास अधिकारी के पी० एल० ए० खाते मे जमा कर दी गयी थी। जिसे प्रमुख सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 316 दिनांक 10.02.2016 द्वारा उक्त राशि पी० एल० ए० खाते से आहरित कर ज़िला कार्यक्रम अधिकारी के पदनाम के खाते मे हस्तांतरित करने की अनुमति प्रदान की गयी थी, आगे जांच मे पाया गया कि जनपद मे मात्र 409 आँगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु एक लाख की दर से ` 409.00 लाख की धनराशि, प्राप्ति तिथि के 15 माह बाद, प्रथम किस्त के रूप मे विकास खंडो को हस्तांतरित की गयी थी (मई 2016) शेष राशि रुपए 185100000.00 ज़िला कार्यक्रम अधिकारी के खाते मे शेष / अनुपयोगी पड़ी हुई थी, जबकि जनपद के 1297 केंद्र किराए के भवन मे संचालित थे तथा जिन 409 केन्द्रो के निर्माण हेतु धनराशि निर्गत की गयी थी उसके निर्माण की स्थिति भी स्पष्ट नहीं थी।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 75% भारत सरकार से वित्त पोषित योजना आँगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि ` 2260.00 लाख की धनराशि के उपयोग मे न केवल उदासीनता बरती गयी अपितु ` 1851.00 लाख की धनराशि विगत 15 माह से अनुपयोगी थी जबकि जनपद मे 1297 आँगनबाड़ी केन्द्र किराए के भवन मे संचालित थे। आँगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण मे हो रहे विलम्ब के कारण सरकार को अनावश्यक रूप से किराए के रूप मे अतिरिक्त व्यय भार वहन करना पड़ेगा जो कि सरकार की अप्रत्यक्ष रूप से हानि होगी ।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि राज्य सरकार से जनपद हरिद्वार में 500 आगंनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हुये थे तथा 10 केन्द्रों की उच्चीकरण हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई। जिसमें खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा 409 आँगनबाड़ी केन्द्रों के पत्र प्राप्त हुये थे, शेष 91 आँगनबाड़ी केन्द्रों के लिये निशुल्क भूमि के प्रस्ताव प्राप्त किए जाने हेतु प्रयास किया जा रहा है प्रस्ताव प्राप्त होने तथा उसकी सत्यापन रिपोर्ट जारी होने के पश्चात धनराशि की प्रथम किश्त जारी की जायेगी । इन 409 आँगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कार्य जून 2016 से प्रारम्भ होगा। भवन निर्माण के मानक परिवर्तित होने के फलस्वरूप स्वत: ही लक्ष्य परिवर्तित हुआ है संशोधित परिस्थितियों में प्राप्त धनराशि से 1125 आँगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण किया जा सकता है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा 15 माह से अधिक का समय बीत जाने के पश्चात भी उक्त धनराशि का कोई उपयोग नहीं किया गया तथा आँगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण मे हो रहे विलम्ब के कारण सरकार को अनावश्यक रूप से 1297 केन्द्र किराए के भवन में संचालित कराये जाने से अतिरिक्त व्यय भार वहन करना पड़ रहा था। जिससे सरकार को अप्रत्यक्ष रूप हानि हो रही थी। उक्त से स्पष्ट है कि विभाग की उदासीनता के कारण ` 1851 लाख की धनराशि का अनुपयोगी रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है

भाग- II (ब)

प्रस्तर 4:- ` 11.64 लाख के अर्जित ब्याज की धनराशि को शासन को प्रेषित न किया जाना।

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास हरिद्वार के आई सी डी एस योजना के लेखों की नमूना जांच के यह तथ्य प्रकाश में आया कि विभाग के द्वारा तथा विभिन्न बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं उनके अन्तर्गत कार्यरत आंगनवाड़ी केन्द्रों को आबंटित धनराशि पर बैंकों के द्वारा ब्याज दिया जाता है वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक की अवधि में ब्याज की राशि शासन को वापस करने या धनराशि को आगामी वर्षों में समायोजित करते हुये शेष धनराशि की मांग शासन से नहीं किए जाने से धनराशि ` 1164498/- परियोजनाओं में लम्बित हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र॰ सं॰	**परियोजना का नाम**	**ब्याज की धनराशि**
1	जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास हरिद्वार	589723.00
2	बाल विकास परियोजना अधिकारी, भगवानपुर (हरिद्वार)	263763.00
3	बाल विकास परियोजना अधिकारी, नारसन (हरिद्वार)	41389.00
4	बाल विकास परियोजना अधिकारी, लक्सर (हरिद्वार)	73851.00
5	बाल विकास परियोजना अधिकारी, खानपुर (हरिद्वार)	23334.00
6	बाल विकास परियोजना अधिकारी, बहादरबाद-II (हरिद्वार)	87485.00
7	बाल विकास परियोजना अधिकारी, रुड़की शहर (हरिद्वार)	31138.00
8	बाल विकास परियोजना अधिकारी, मंगलौर (हरिद्वार)	37471.00
9	विभिन्न आंगनवाड़ी केन्द्रों में	16344.00
कुल योग		**1164498.00**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विभागीय उदासीनता के कारण वर्ष 2015-16 तक कुल ` 11.64 लाख की धनराशि पड़ी हुई है

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि ब्याज की धनराशि नियमानुसार कोषागार में जमा कर दी जायेगी जिसके लिए अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योकि विभाग द्वारा दो वर्ष बीत जाने के पश्चात भी विभाग द्वारा शासन को धनराशि वापस नहीं की गयी। अतः विभाग द्वारा ` 11.64 लाख के अर्जित ब्याज की धनराशि को शासन को प्रेषित न किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1 :- विभागीय अनुश्रवण के कारण संस्था को एक मुश्त धनराशि ` 14.00 लाख अवमुक्त किया जाना।

सबला योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि (1) आत्म- विकास एवं सशक्तिकरण हेतु किशोरियों को सक्षम बनाना (2) उनके पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना (3) स्वास्थ्य, सफाई, पोषण,किशोरी प्रजनन और परिवार एवं बाल देख-रेख के विषय में जागरूकता को बढ़ावा देना। (4) उनके घरेलू कौशलों, जीवन कौशलों एवं व्यावसायिक कौशलों का उन्नयन करना। (5) पढ़ाई छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक/ अनौपचारिक शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना।

इस योजना के दो मुख्य घटक है विध्यालय जाने वाली किशोरियाँ एवं विध्यालय न जाने वाली किशोरियाँ। 11-18 वर्ष की विध्यालय जाने वाली किशोरियों कों विध्यालय खुले होने पर माह में दो बार व छुट्टियाँ होने पर माह में चार बार पोषण का प्रावधान ` 5/- प्रतिदिन (600 कैलोरी व 18-20 ग्राम प्रोटीन), आई एफ ए संपूरण पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा 16 वर्ष से अधिक आयु की किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु मंत्रालयों एवं विभाग की उपलब्ध सेवाओं का उपयोग करना।

किशोरी शक्ति योजना के अन्तर्गत जनपद स्तरीय समिति के द्वारा किशोरियों को Retail Marketing में कोर्स कराने हेतु जिसमें 45 दिवसीय कोर्स सारथी द्वारा दिलाया जायेगा। जिसके लिए प्रति लाभार्थी 16000/- के व्यय का भुगतान निम्नानुसार किया जायेगा :- 40 प्रतिशत धनराशि कोर्स प्रारम्भ होने पर, 40 प्रतिशत धनराशि कोर्स की समाप्ती पर तथा 20 प्रतिशत की धनराशि प्रशिक्षण कोर्स प्राप्त करने वाली 70 प्रतिशत किशोरियों को प्लेसमेंट दिये जाने के पश्चात किया जायेगा एवं किशोरियों को जनरल ड्यूटी असिस्टेंट्स कोर्स के प्रशिक्षणार्थियों को ब्लड प्रेशर नापने की मशीन (मैनुअल) एवं स्ट्रेथोस्कोप दिया जायेगा इस कोर्स हेतु प्रति किशोरी ` 2000/- की धनराशि संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी।

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास हरिद्वार के सबला योजना के लेखों की नमूना जांच के यह तथ्य प्रकाश में आया कि विभाग के द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान आई॰ ई॰ सी॰ समेत जीवन कौशल संबन्धित शिक्षा पर वर्ष 2014-15 में ` 550000/- तथा सखी सहेली के लिए प्रशिक्षण हेतु संस्था को ` 160000/- का भुगतान कुल ` 710000/- एवं वर्ष 2015-16 में सखी सहेली के प्रशिक्षण हेतु ` 360000/- का किया गया तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु वर्ष 2015-16 में धनराशि ` `

330000/- किया गया इस प्रकार संस्था को वर्ष 2015-16 में कुल धनराशि ` 690000/- का भुगतान किया गया। इस प्रकार इस योजना पर वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक कुल धनराशि ` 1400000/- (710000 + 690000 = 1400000) का संस्था को भुगतान किया गया जबकि नियमानुसार संस्था को 40 प्रतिशत कोर्स प्रारम्भ होने पर तथा 40 प्रतिशत कोर्स पूरा होने पर तथा 20 प्रतिशत किशोरियों को प्रशिक्षण पूर्ण करने एवं 70 प्रतिशत किशोरियों को प्लेसमेंट दिये जाने के पश्चात किया जायेगा लेकिन विभाग द्वारा संस्था को एक मुश्त धनराशि अवमुक्त कर दी गयी। जो कि शासन द्वारा जारी नियमों का उल्लंघन था। जिससे स्पष्ट है की विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के कारण संस्था को नियमों की अनदेखी करते हुये एक मुश्त धनराशि ` 14.00 लाख अवमुक्त की गयी ।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि रोजगार प्राप्ति तत्काल नहीं होती यह लम्बी प्रक्रिया है ।संस्था को कार्य पूर्ति के उपरान्त ही एक मुश्त धनराशि जारी की गयीहै।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योकि विभाग द्वारा संस्था को अन्तिम भुगतान तब ही किया जाएगा जब 70 प्रतिशत किशोरियों को प्लेसमेंट प्राप्त हो जाएगा लेकिन विभाग द्वारा संस्था को एक मुश्त धनराशि अवमुक्त कर दी गयी जो नियमों की अनदेखी थी। अतः उक्त से स्पष्ट था कि विभागीय अनुश्रवण के कारण संस्था को एक मुश्त धनराशि ` 14.00 लाख का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें, जिनका समाधान/निराकरण लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें पृथक रूप से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर अलग से **कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित की गयी की वे लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, सी–1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामाजिक क्षेत्र